



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12102026-277075
CG-CG-E-12102026-277075

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2026/आश्विन 17, 1948

No. 5331]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2026/ASVINA 17, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 6 अक्टूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत

का.आ. 5543(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसमें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 998 तारीख 26 फरवरी 2026 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा-रायगढ़, रायगढ़-चांपा, चांपा-बिलासपुर, तिल्दा-बिलासपुर, तिल्दा-दुर्ग, दुर्ग-दारेकासा, मुंडीकोटा-नागपुर, बिलासपुर-पेंडारोड-अनूपपुर, रायपुर-लखोलीए दुर्ग- दारेकासा के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र लोकमत (हिन्दी), दैनिक भास्कर (हिन्दी), देशोन्नति (मराठी), महासागर (मराठी), हितवादा (अंग्रेजी) में प्रकाशित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई थी और उक्त अधिनियम की धारा 20 घ के

तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है। इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में अत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नलिखित है:

जिला – गोंदिया					राज्य – महाराष्ट्र			
क्र.	अनुविभागीय अधिकारी(रा०)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूस्वामी का नाम	भूमि की प्रकृति	गट सं-	कुल क्षेत्रफल (हे०) में.	अर्जित क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उपविभागीय अधिकारी तथा भू अर्जन अधिकारी , तिरोडा	तिरोडा	काचेवानी	अजय छोटेलाल दुबे	कृषि	516	2.58	1.3121
Total							2.58	1.3121

[फा. सं. सीपीएम/बीएसपी/इले/2X25 के.वी. ओ.एच.ई./भूमि अधि./20 E /2573]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 6th October, 2026

UNDER SECTION 20 E of THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 5543(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 998 dated the **26 February 2026** published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh, Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, **Durg-Darekasa**, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur, Raipur-Lakholi sections over SEC Railway to meet 3000 MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh, **Maharashtra** over SEC railway whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers Lokmat(Hindi),Dainik Bhaskar (Hindi), Deshonnati (Marathee), Mahasagar(Marathee) and Hitvada (English) on dated 08/03/2026 and whereas, **no objection was received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent

Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the Railway act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and further in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

Details of land for which 20(E) is proposed to be issued: -

District – Gondia					State - Maharashtra			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SN	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Bhumi swami ka naam	Nature of land	Gat no.	Total area (in Hec)	Acquired Area (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SDO, Tiroda District Gondia	Tiroda	Kachewani	Ajay Chhotelal Dubey	Krishi	516	2.58	1.3121
Total								1.3121

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E /2573]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.